

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक ०५-११-२०१५

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान / उपक्रम / उद्यम/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय / राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी

विषय:- वर्ष २०१५ में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, उप संस्थानों एवं उप केंद्रों में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के गहन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के दिनांक १०.०९.१९८७ के कार्यालय ज्ञापन सं. १८०१५/६/८६-रा.भा.ई में दिए गए निदेशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों द्वारा मंत्रालयों/विभागों उनके नियंत्रणाधीन सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/लोक उद्यमों/निगमों/ स्वायत्त संस्थानों, संगठनों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में नए भर्ती हुए हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के पूर्णकालिक गहन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मूलतः ये पाठ्यक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए हैं, किंतु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर, उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि तक प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके।

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी भाषा का प्रशिक्षण वर्ष २०१५ तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अतः सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि (अनुलग्नक-१) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें। हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के लिए प्रशिक्षार्थी की पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार करें।

.....२....

सातवां तल, पर्यावरण भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३

7th Floor, Paryavaran Bhavan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 टेलीफैक्स/Telefax-011-24366794, 24365089

ईमेल/email : dirchti-dol@nic.in / वेबसाइट/ Website : http://rajbhasha.nic.in/rajbhashachti.htm

1. प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा की दिनांक	पात्रता
1.	प्रबोध	25 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, मिजो और अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।
2.	प्रवीण	20 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
3.	प्राज्ञ	15 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह अंतिम पाठ्यक्रम है। यह उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिन्हें मिडिल/माध्यमिक स्तर तक हिंदी का ज्ञान है या जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या दसवीं कक्षा से कम है। उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी तथा पश्तो भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

विशेष:- वर्ग " घ " से वर्ग " ग " में आए कर्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा0भा0(प्र0) दिनांक 06 जनवरी, 2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ग " घ " के कर्मिकों को वर्ग " ग " में शामिल कर लिया गया है और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1967 के आदेशानुसार, वर्ग " ग " के कर्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है, अतः वर्ग " घ " से वर्ग " ग " में आए उन कर्मिकों के लिए जो वर्ग " ग " श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी अनुक्रम में पात्रतानुसार अपने कार्यालय के वर्ग " घ " से "ग " में आए कर्मिकों को भी नामित करने का कष्ट करें।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक-11 में दिए गए प्रपत्र में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम एक महीना पूर्व अवश्य भिजवा दी जाए।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।

.....3....

- प्रशिक्षण का समय सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक निर्धारित है।
- प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यालयों से नामित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नामांकन की पुष्टि का पत्र संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक द्वारा भेजा जाएगा।
- नामांकन के संबंध में प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक से पुष्टि पत्र प्राप्त होने पर ही, अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त किया जाए।
- प्रशिक्षण केंद्रों की सूची अनुलग्नक -III में दी गई है।

परीक्षा

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ प्रत्येक प्रशिक्षण के अंतिम कार्य दिवस पर आयोजित की जाती हैं।
- परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रशिक्षार्थी से, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय भरवाया जाता है।
- नई दिल्ली, चेन्नै (राजाजी भवन) एवं बेंगलूरू केंद्रों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित की जाएगी।

परीक्षा शुल्क

- ये सभी पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निःशुल्क है, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयों को, हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए रु 100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना के नाम, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है।

पाठ्य पुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें प्रशिक्षण केंद्र पर, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

वित्तीय प्रोत्साहन

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को, 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का, वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को, नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस राशि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

क्र.सं.		प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
1.	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु 1600/-	रु 1800/-	रु 2400/-
2.	60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु 800/-	रु 1200/-	रु 1600/-
3.	55% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु 400/-	रु 600/-	रु 800/-

विशेष

- सभी मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध कार्यालयों, इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने की कृपा करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो और निर्धारित समय में प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- यह भी सुनिश्चित करने की कृपा करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की पुष्टि प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक द्वारा भेजी जाती है, उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाए। यदि किसी कारणवश उन्हें भेजना संभव न हो, तो उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को भेजा जा सकता है। नामित अधिकारी/कर्मचारी को अगले सत्र में भिजवाने की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें।
- यात्रा भत्ता आदि जो भी देय होगा, उसे प्रशिक्षार्थी के कार्यालय द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को कार्यमुक्ति आदेश दिया जाता है।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए, संबंधित सहायक निदेशक से फोन नं. 011-23063321 एक्सटेंशन 2207 पर संपर्क करें।
- केंद्र के अधिकारी का संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र, हॉस्टल का पता तथा बस रूट अनुलग्नक iv देखें।

भवदीय,



(डॉ. जयप्रकाश कर्दम)

निदेशक

पृष्ठांकन सं. 19011/09/2013-कें.हि.प्र.सं./ग.भा.प्रशि./428-1428 दिनांक: 05-11-2014
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा-I) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा-II) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
3. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
4. संयुक्त निदेशक (मु0), हिंदी शिक्षण योजना, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
5. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, गुवाहाटी।
6. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन), व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6 आर.के.पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110066.

8. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बेंगलूर , हैदराबाद
9. सभी सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/उप संस्थान/उपकेंद्र, नई दिल्ली, बेंगलूर कोलकाता, चेन्नै, एवं हैदराबाद ।
10. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
11. सहायक निदेशक(टं/आशु0) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दें ।



(डॉ. जयप्रकाश कर्दम)
निदेशक

अनुलग्नक -I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली एवं इसके चेन्नै, हैदराबाद, बेंगलूरु, मुंबई एवं कोलकाता स्थित उप संस्थानों द्वारा वर्ष 2015 में आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्यदिवस	प्रशिक्षण की अवधि
प्रथम	प्रबोध	25	05.01.2015 से 09.02.2015 तक
	प्रवीण	20	10.02.2015 से 10.03.2015 तक
	प्राज्ञ	15	11.03.2015 से 31.03.2015 तक

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्यदिवस	प्रशिक्षण की अवधि
द्वितीय	प्रबोध	25	05.05.2015 से 08.06.2015 तक
	प्रवीण	20	09.06.2015 से 06.07.2015 तक
	प्राज्ञ	15	07.07.2015 से 27.07.2015 तक

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्यदिवस	प्रशिक्षण की अवधि
तृतीय	प्रबोध	25	07.09.2015 से 13.10.2015 तक
	प्रवीण	20	14.10.2015 से 12.11.2015 तक
	प्राज्ञ	15	13.11.2015 से 04.12.2015 तक

अनुलग्नक-iv

संपर्क सूत्र

1.	2.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, बी ब्लॉक सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003. दूरभाष सं. 011-24361852 फैक्स सं. 011-24361852 ई-मेल-dirchti-dol@nic.in	सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कक्ष सं. 449-ए, चौथा तल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011. दूरभाष सं. 011-23063321 एक्सटेंशन 2207 फैक्स सं. 011-23062626

नई दिल्ली के प्रशिक्षण केंद्र तथा हॉस्टल का पता तथा उनके बस रूट नं.

प्रशिक्षण केंद्र का पता	हॉस्टल का पता
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, कक्ष सं. 449-ए, चौथा तल, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011. दूरभाष सं. 011-23063321 एक्सटेंशन 2207 फैक्स सं. 011-23062626 नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और बस अड्डे से मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो स्टेशन का नाम " उद्योग भवन " है।	वार्डन (हॉस्टल), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, फ्लैट नं. 2, गवर्नमेंट हॉस्टल, तीसरा तल, देवनगर, लिबर्टी सिनेमा के पास करोल बाग के पास, नई दिल्ली-110005 दूरभाष सं. 011-28716509 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 181 पु.दि.रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 926 बस स्टॉप का नाम लिबर्टी सिनेमा हॉस्टल से प्रशिक्षण केंद्र उद्योग भवन तक आने के लिए बस रूट सं. 610

नामांकन का प्रपत्र

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित किया गया है	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	कर्मचारी के कार्यालय का पता व फोन नं. ई-मेल आई. डी.

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

संस्थान/कार्यालय का पूरा पता.....

टेलीफोन नं फैक्स नं.....

ई मेल आई डी

(प्रशिक्षण केंद्रों की सूची)

1. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, कमरा नं. 449-ए उद्योग भवन,
नई दिल्ली - 110011
(दूरभाष 011-23063321 एक्स. 2207 फैक्स 011-23062626
फैक्स 011-23018740(पृथ्वीराज रोड)
2. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, राजाजी भवन, ई-3सी
ब्लॉक, बेसंट नगर, चेन्नै -600090.(दूरभाष 044-24918904)
3. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, केंद्रीय सदन कोटि, सुल्तान
बाजार, हैदराबाद-500095(दूरभाष 040-24747211)
4. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बी विंग, 5वाँ तल, केंद्रीय सदन, 17वाँ मेन
रोड, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूर-560034 (फैक्स 080-25537089) (दूरभाष सं. 080-25537087)
5. उप निदेशक(पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, द्वितीय बहुतलीय भवन, 18वाँ
तल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020 (दूरभाष-033-22870793और 22890038)
फैक्स नं. 033-22870793
6. सहायक निदेशक(भाषा) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी विभाग मूर बाजार कॉम्प्लेक्स 8वाँ तल
चेन्नै - 600 002.